राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

निर्णय

रामबाबू बनाम देवीसहाय एवं अन्य

एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या-68/ 2000
अन्तर्गत धारा 173 मोटर वाहन अधिनियम विरूद्ध मोटर वाहन दुर्घटना वाद प्राधिकरण (ए डी जे), बयाना, भरतपुर के एम ए सी टी क्रमांक- 15/94 में पारित आक्षेपित निर्णय (अवार्ड) दिनांक 10.09.1999, जिसके द्वारा 55,500/- रूपये प्रतिकर राशि 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से तावसूली तक अदा करने का आदेश दिया गया है।

--

निर्णय दिनांक : 30 सितम्बर ,2010

: उपस्थित :

माननीय न्यायाधिपति श्री एस एस कोठारी

श्री संदीप माथुर, अधिवक्ता- अपीलार्थी की ओर से
श्री सुरेश शर्मा, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या-3 बीमा कम्पनी की ओर से

--

न्यायालय द्वारा :

1. अपीलार्थी रामबाबू की ओर से यह सिविल विविध अपील धारा 173 मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत मोटर वाहन दुर्घटना वाद प्राधिकरण (ए डी जे), बयाना, भरतपुर(जिसे आगे से केवल न्यायाधिकरण लिखा जावेगा) के एम ए सी टी क्रमांक- 15/94 में पारित आक्षेपित निर्णय(अवार्ड) दिनांक 10.09.1999 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान् न्यायाधिकरण ने दुर्घटना में चोटग्रस्त रामबाबू नामक व्यक्ति को क्षतिपूर्ति स्वरूप 55,550/- रूपये की राशि दिलायी है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 09.02.1994 को प्रार्थी रामबाबू ने अपनी माता तथा छोटे भाई- बहिन के साथ धारा 166, 140 मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिकर दिलाये जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि दिनांक 27.02.1993 को सायं 4.00 बजे यह कार्यालय से आधे दिन का आकस्मिक अवकाश लेकर अपने गांव घनाजाटोली जाने के लिए खेड़ली मोड़ चौराहे पर खड़ा था तो एक ट्रक संख्या आर आर ए 6785 जयपुर से भरतपुर की ओर जा रहा था, जिसे इसने हाथ देकर रूकवाया और भरतपुर जाने के लिए बैठ गया। ट्रक के चालक ने ट्रक को तेज गति से चलाना शुरू किया। इसने उसे सावधान करते हुए इसे ट्रक से उतार देने के लिए भी कहा किन्तु वह यथावत लापरवाही एवं गफलत के साथ वाहन को चलाता रहा और खेड़ली मोड़ से दो किलोमीटर दूर छोंकरवाडा की तरफ ट्रक को पलट दिया जिससे यह ट्रक के नीचे आ गया और इसका दाहिना पैर टखने से कट गया व शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोटें आयीं। इसके कार्य स्थल वाले नाका के व्यक्ति इसे भरतपुर अस्पताल में ले गये जहां पुलिस ने इसका बयान लिया और अनुसंधान के बाद ट्रक के चालक के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया। इसने दुर्घटना के समय अपनी आयु 22 वर्ष व वन विभाग में सरकारी नौकर के रूप में कार्य कर अपना मासिक वेतन एक हजार रूपये होना अंकित किया है तथा ट्रक के स्वामी विपक्षी संख्या-1, ट्रक के चालक विपक्षी संख्या-2 तथा बीमा कम्पनी विपक्षी संख्या-3 के विरूद्ध 6,85,900/- रूपये की क्षतिपूर्ति दिलाने की प्रार्थना की।

3. विपक्षी संख्या-1 ने प्रार्थी का वन विभाग में केटलगार्ड के पद पर कार्यरत रह एक हजार रूपये मासिक वेतन होने से इन्कार करते हुए स्वयं को ट्रक का मालिक नहीं होना बताया और आवेदन अस्वीकृत करने की प्रार्थना की। बीमा कम्पनी- विपक्षी संख्या-3 की ओर से यह आपत्ति ली गयी कि आहत व्यक्ति इस माल ढोने वाले ट्रक में सवारी के रूप में यात्रा कर कानून एवं नियमों का उल्लघंन कर रहा था और ट्रक चालक ने भी इसे अवैध रूप से वाहन में बिठाया । ऐसी स्थिति में दुर्घटना में क्षतिपूर्ति के अपने दायित्त्व से इन्कार किया है।

4. दोनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर न्यायाधिकरण द्वारा निम्न विवाधक विरचित किये गये:

1. आया दिनांक 27.2.93 को ट्रक सं. आर आर ए 6785 के चालक अप्रार्थी सं.2 ने ट्रक को गफलत एवं लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित कर प्रार्थी सं.1 के चोट पहुंचाई , जिससे यह स्थाई रूप से निर्योग्य हो गया ?

2. आया प्रार्थीगण किस कदर प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?

3. आया प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अनावश्यक पक्षकार मुकदमा के कानूनी नुक्स का मोहताज है ?

4. आया ट्रक सं. आर आर ए 6785 का चालक आहत रामबाबू को पॉलिसी की शर्तों के विपरीत ट्रक में बैठाकर ले जाया जा रहा था?

5. दादरसी ?

5. प्रार्थीगण की ओर से साक्ष्य में चार गवाहों के कथन लेखबद्ध कराते हुए प्रदर्श-1 लगायत प्रदर्श-7 प्रलेखीय साक्ष्य प्रदर्शित करायी गयी। विपक्षीगण की ओर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी।

6. दोनों पक्षों को सुनने व अभिलेख पर आयी साक्ष्य का अवलोकन करने के उपरान्त प्राधिकरण ने प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर विवाधक संख्या-1 प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया। विवाधक संख्या-3 पर विवेचन कर वाहन का पंजीकृत स्वामी मंजीतसिंह नामक व्यक्ति को माना जिसे पक्षकार नहीं बनाया गया है और इस प्रकार विपक्षी संख्या-1 को दायित्त्व से मुक्त करते हुए यह विवाधक संख्या-3 इस प्रकार निर्णित किया कि प्रार्थीगण, विपक्षी संख्या-1 के विरूद्ध कोई प्रतिकर पाने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थी संख्या-2 लगायत-4 को प्रार्थी संख्या-1 की माता एवं भाई-बहिन होने के कारण प्रतिकर दिलाये जाने योग्य नहीं माना। इन निष्कर्षों के सम्बन्ध में अपीलार्थी पक्ष को कोई विवाद नहीं है। शेष सभी विवाधकों का निर्णय प्रार्थी के पक्ष में व विपक्षी संख्या-2 व 3 के विरूद्ध करते हुए 55,500/- रूपये की राशि का अवार्ड पारित किया। इसी निर्णय दिनांक 10.09.1999 से व्यथित होकर अपीलार्थी रामबाबू की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

7. बहस के दौरान विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से इसी न्यायालय के दो निर्णय जितेन्द्र सिंह बनाम इस्लाम व अन्य 1998 ए सी जे 1301 तथा भगवान सहाय मीणा बनाम जयकिशन तिवारी एवं अन्य 1999 ए सी जे 1200 प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया कि दुर्घटना में प्रार्थी का दायां पैर घुटने के नीचे से कट गया जिसके फलस्वरूप वह लगभग एक माह अस्पताल में भर्ती एवं लगभग 5 माह उपचाररत रहा है। इसके कारण इसे अपने कार्यालय से अवैतनिक अवकाश लेना पड़ा। ऑपरेशन, कृत्रिम पैर लगाने तथा उपचार हेतु इसे कई बार अस्पताल आना जाना पड़ा जिस कारण परिवहन के निमित्त पर्याप्त राशि व्यय करनी पड़ी। पैर कटने के अतिरिक्त इसके दो अन्य चोटें भी आयी। आवागमन एवं पैाष्टिक आहार में भी इसे समुचित राशि खर्च करनी पड़ी। कृत्रिम पैर लगने के कारण यह पूर्ववत अपना कार्य करने में असमर्थ हो गया और दिन प्रतिदिन के कार्यों में भी इसे पर्याप्त कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। चोटों के कारण इसे बहुत शारीरिक कष्ट एवं मानसिक वेदना उठानी पड़ी । कई बार इसे अपना कृत्रिम पैर बदलवाना पड़ेगा। यह 40 प्रतिशत स्थाई अशक्तता से ग्रस्त हो गया है, जिससे इसके जीवन की सुविधा एवं आय में कमी हुई है तथा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से इसकी स्थिति विपरीत रूप से प्रभावित हुई है किन्तु प्राधिकरण ने क्षतिपूर्ति के रूप में सभी मदों में अपर्याप्त एवं न्यून राशि दिलायी है। अत: उक्त स्थिति को विचार में ले इस राशि में समुचित वृद्धि की जाए।

8. बीमा कम्पनी के विद्वान् अभिभाषक ने विनिर्णय न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लि. बनाम वेदवती एवं अन्य 2007 ए सी जे 1043 (एस सी) को उदधृत करते हुए व्यक्त किया कि ट्रक में सवारी के रूप में यात्रा कराने के कारण बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी नहीं है। इसके अतिरिक्त भी प्राधिकरण ने जो राशि अपीलार्थी को क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाने के आदेश दिये हैं, वह वर्ष 1993 और तत्समय प्रचलित रूपये की कीमत को ध्यान में रखते हुए ही दिलायी है जो पर्याप्त है, अत: अपील अपीलार्थी अस्वीकृत की जाये।

9. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान् अधिवक्तागण के तर्कों पर विचार

कर न्यायाधिकरण में प्रस्तुत हुई समस्त मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य तथा न्यायाधिकरण के निर्णय का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

10. सर्वप्रथम बीमा कम्पनी द्वारा उठायी गयी आपत्ति पर विचार करने पर प्रतीत होता है कि स्वयं न्यायाधिकरण ने अपने निर्णय में बीमा कम्पनी द्वारा उठाये इस तर्क को यह लिखते हुए अस्वीकृत किया है कि विधि दृष्टान्त राधेश्याम बनाम न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी ए जे आर 1998(1)-379 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सोहनलाल पासी बनाम पी शेष रेड्डी 1996(5) एस सी सी -21 में यह निर्धारित किया गया है कि यदि बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लघंन वाहन मालिक की जानकारी के बिना किया जाता है तो ऐसी दशा में बीमा कम्पनी प्रतिकर भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगी। इस प्रकरण में ट्रक चालक ने रास्ते में चलते हुए रामबाबू को सवारी के रूप में बैठा लिया, जिससे जाहिर है कि वाहन चालक को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। यह उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण के इस निष्कर्ष को बीमा कम्पनी ने प्रति आपत्तियां पेश कर या अन्य किसी प्रकार से चुनौती नहीं दी है। इस कारण बीमा कम्पनी के द्वारा उठायी जा रही ऐसी आपत्ति जिस पर प्रश्नगत ट्रक स्वामी एवं चालक को कोई नोटिस देकर सुना तक नहीं गया है, इस अपीलीय स्तर पर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है और एतदद्वारा अस्वीकृत की जाती है। फलस्वरूप विवाधक संख्या-4 पर पारित निष्कर्ष यथावत रखे जाने योग्य है।

11. अब यह देखना है कि क्या प्राधिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति स्वरूप प्रार्थी को दिलायी गयी 55,500/-की राशि पर्याप्त है या इसमें वृद्धि किया जाना अपेक्षित है।

12. सर्वप्रथम प्रार्थी के कार्य तथा वेतन के बारे में अभिलेख पर प्रस्तुत हुई सामग्री का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि प्रार्थी ने क्लेम आवेदन में अपनी आयु 22 वर्ष बताते हुए यह स्पष्ट अंकित किया है कि यह वन विभाग में सरकारी नौकर है और इसका वेतन एक हजार रूपये मासिक है। न्यायाधिकरण में हुए बयानों में प्रार्थी का कथन है कि यह कक्षा छः तक पढ़ा है और वन विभाग में बेलदारी करता है तथा इसे उस समय 1200/- रूपये

प्रतिमाह मिल जाते थे। इसने अपना वेतन विवरण पत्र पेश नहीं किया है और विभाग ने उस समय इसे नौकरी से नहीं हटाया था और सही होने पर इसने ड्यूटी ज्वॉइन कर ली, उस समय अवकाश ले लिया था।इसके ही सहकर्मी पी.डब्ल्यू.2 राधाकृष्ण का कथन है कि रामबाबू वन विभाग में नौकरी करता था और दुर्घटना के समय इसे एक हजार रूपये वेतन मिलता था और अब दो-एक हजार रूपये वेतन मिलता होगा। यह रामबाबू से कम से कम 4-5 साल सीनियर है। उस समय इसे 1144/- रूपये वेतन मिलता था, अब 10 साल बाद इसे प्रमोशन मिला और अब 3100/- रूपये मासिक वेतन मिलता है। दूसरे सहकर्मी रमन पी.डब्ल्यू.3 का कथन है कि पैर कटने के कारण रामबाबू की नौकरी पक्की नहीं हुई , वह अभी सेन्ट्रल नर्सरी, भरतपुर में नौकरी करता है और उसे नौकरी से नहीं हटाया गया है।

13. प्रार्थी का यह कथन है कि पैर कटने पर कोई पैसा सरकार ने इसे नहीं दिया है क्योंकि ऐसे नियम लागू नहीं है। इसके अनुसार पैर कटने के कारण कृत्रिम पैर लगाने की कोई राशि इसे नहीं दी गई । इससे ऐसा आभास होता है कि नियमों के अनुसार उपचार की अन्य राशि का सम्भवत: इसे सरकार ने भुगतान किया होगा। दवाईयों के बिल के सम्बन्ध में इसका कथन है कि घर में आग लग जाने के कारण जल गये। उपचार के सम्बन्ध में आने जाने के बाबत कथन करता है कि इसका सवा महिने तक अस्पताल में इलाज चला, पैर का ऑपरेशन हुआ। इलाज के कारण इसे बार-बार भरतपुर आना जाना पड़ा और जीप का एक बार आने जाने का खर्चा 400-500/- रूपये हो जाता था। यह 15-20 बार डॉक्टरों को दिखाने के लिए भरतपुर गया किन्तु खर्चे की रसीद पेश नहीं कर सका है। इसका कथन है कि इसके पैर का एक्सीडेन्ट होने के कारण जो क्षति हुई तथा अन्य क्षतियों के लिए इसने पचास हजार रूपये का दावा किया है। अगर पैर नहीं कटता और प्रमोशन हो जाता तो इसे बढ़े हुए पैसे मिल जाते और इसे 5-6 लाख रूपये का फायदा हो जाता । अब इसका पैर भी जिन्दगी भर के लिए खराब हो गया है तथा अपने रोजाना के काम नहीं कर सकता, भारी वजन नहीं उठा सकता , चलने फिरने में भी परेशानी होगी। परिश्रम और ताकत के काम अब यह नहीं कर सकता। पैर कट जाने के लिए जीवन भर इसे मानसिक पीड़ा से गुजरना

पड़ेगा। इसके लिए 40 हजार रूपये का प्रतिकर का दावा किया है।

14. ए.डब्ल्यू.2 राधाकृष्ण का कथन है कि रामबाबू अब कृत्रिम पैर से खूब चलता है किन्तु इसके पश्चात यह व्यक्त करता है कि कृत्रिम पैर से एक किलोमीटर दूर नहीं चल सकता। ए.डब्ल्यू.3 रमन का कथन है कि रामबाबू के पैर के अलावा उसके कमर में भी चोट आयी थी।

15. ए.डब्ल्यू.4 डॉ. त्रिलोक चन्द गुप्ता चिकित्सक है, जिसने इसका अशक्तता प्रमाण पत्र प्रदर्श-4 जारी किया है। इसका कथन है कि दिनांक 06.10.1993 को यह सामान्य चिकित्सालय, भरतपुर में कनिष्ठ विशेषज्ञ, अस्थि विभाग के पद पर था। रामबाबू का दाहिना पैर घुटने के नीचे से कटा हुआ था, जो स्थायी निर्योग्यता में आता है। इसने इस हेतु प्रदर्श -4 प्रमाण पत्र बीमार की प्रार्थना पर जारी किया। यह प्रमाण पत्र उन्हीं को जारी किया जाता है जो 40 प्रतिशत से ज्यादा विकलांग होते हैं। इसके अनुसार कृत्रिम पैर लगाकर आदमी चल सकता है और इस प्रकार रामबाबू चल सकता है। इस विकलांगता के कारण से रामबाबू सरकारी नौकरी करने में असमर्थ नहीं हुआ है। इसके द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र में अपीलार्थी की निर्योग्यता के सम्बन्ध में केवल यह अंकित किया है कि इसे लगभग 40 प्रतिशत अशक्तता कारित हुई है।

16. उक्त प्रस्तुत हुई साक्ष्य के प्रकाश में अपीलार्थी को दिलायी जाने वाली क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में जो स्थिति समक्ष आती है, वह इस प्रकार है कि प्रस्तुत तथ्यों एवं साक्ष्य से सर्वप्रथम तो अपीलार्थी का वन विभाग में सेवारत रहना माने जाने योग्य है। प्रार्थी रामबाबू ने अपना तत्समय का और वर्तमान का कोई वेतन विवरण पत्र पेश नहीं किया है और न ही विभाग की ओर से इस सम्बन्ध में जारी कोई प्रमाण ही पेश किया है किन्तु प्रस्तुत साक्ष्य से यही माने जाने योग्य है कि दुर्घटना के समय इसका वेतन एक हजार रूपये मासिक था और अब यह वेतन नियमानुसार बढ़ते हुए दो हजार रूपये मासिक या इससे अधिक हो गया है। प्रस्तुत साक्ष्य से यह भी समक्ष आया है कि इस दुर्घटना में पैर कटने के कारण उसे नौकरी से नहीं हटाया गया है और वह अभी भी यथावत नौकरी कर रहा है। साक्ष्य के अभाव में यह माने जाने

योग्य नहीं है कि दुर्घटना में पैर कटने से इसे पदोन्नति नहीं मिली जो अन्यथा मिल जाती। दुर्घटना में आयी चोटों के कारण इसकी सामान्य रूप से हो रही वेतनवृद्धि पर भी कोई अन्तर पड़ना समक्ष नहीं आया है। वेतन का जो लाभ सेवा नियमों तथा वेतन आयोग की अनुसंशानुसार अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी था, उससे उसे वंचित किया जाना प्रतीत नहीं होता है अपितु पत्रावली पर यह आया है कि वेतन आयोग आदि का लाभ लेकर उसे अब दो हजार रूपये मासिक से अधिक वेतन प्राप्त हो रहा है। अपीलार्थी की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य या प्रमाण पेश नहीं हुआ है, जिससे यह अनुमान निकाला जा सके कि दुर्घटना में अपंग होने के कारण उसे पदोन्नति अथवा वेतनवृद्धि नहीं दी गयी या किसी ऐसे लाभ से वंचित किया गया , जो वह दुर्घटनाग्रस्त न होने की स्थिति में अन्यथा प्राप्ति का अधिकारी होता। इस प्रकार इस दुर्घटना में पैर कटने के फलस्वरूप चिकित्सक द्वारा बताई 40 प्रतिशत अशक्तता के कारण उसकी वर्तमान एवं भविष्य में होने वाली आय में कोई हानि होना माने जाने योग्य नहीं है। स्पष्ट है कि दुर्घटना के कारण इसकी आय में अस्थायी या स्थायी कोई हानि होना सिद्ध नहीं किया गया है।

17. अपीलार्थी ने इस सम्बन्ध में कोई भी पत्रादि प्रमाण या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है कि इस चोट के कारण कब उसका ऑपरेशन हुआ, कब से कब तक कितने समय वह अस्पताल में भरती रहा और बाद में कितने समय तक कार्यालय नहीं जाकर घर पर रहकर उपचाररत रहा, जिसके कारण उसे अवकाश लेना पड़ा। इस कारण उक्त की निश्चित अवधि हमारे समक्ष नहीं है। अपीलार्थी की चोटों की प्रकृति तथा गवाहों के बयानों में इस सम्बन्ध में आये कथनों के प्रकाश में यह माना जा सकता है कि अपीलार्थी इस चोट के कारण कुछ समय अस्पताल में और बाद में घर पर रह उपचाररत रहा और इस अवधि की गणना अधिकतम चार-पांच माह करते हुए यह मान लिया जाए कि इतने अवकाश बकाया न होने के कारण अपीलार्थी इस अवधि में अवैतनिक अवकाश पर रहा तो इस अवधि के निमित्त वह एक हजार रूपये मासिक के हिसाब से कुल 5 हजार रूपये पाने का अधिकारी हो जाता है। न्यायाधिकरण ने इस सम्बन्ध में कोई राशि अपीलार्थी को नहीं दिलायी है । मैं इस निमित्त अपीलार्थी को 5 हजार रूपये की राशि दिलाया जाना उचित समझता हूं।

18. अपीलार्थी द्वारा इलाज में खर्च हुई राशि का कोई विवरण या प्रमाण पेश नहीं करने के कारण न्यायाधिकरण ने चार माह तक इलाज चलना मानते हुए 10 हजार रूपये की राशि इस निमित्त दिलायी है। मैं इस मत का हूं कि अपीलार्थी का दाहिना पैर कट जाने की गंभीर स्थिति के प्रकाश में उसे उपचाररत रहते हुए दवाईयों, नर्सिंग केयर, पौष्टिक आहार आदि के निमित्त लगभग 5 हजार रूपये मासिक की राशि व्यय करनी पड़ी होगी। अत: इस निमित्त अपीलार्थी को 10 हजार रूपये के बजाय 20 हजार रूपये की राशि दिलाया जाना उचित समझता हूं।

19. यह स्वाभाविक है कि अपीलार्थी को अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद अपने उपचार हेतु कतिपय बार अस्पताल तथा कृत्रिम पैर लगवाने के लिए सम्बन्धित केन्द्र पर जाना पड़ा होगा। न्यायाधिकरण द्वारा यह लिखते हुए कि पैर कट जाने के कारण उसे अस्पताल जाने के लिए अवश्य वाहन किराये लेना पड़ा होगा, इस निमित्त 400/ - रूपये की राशि दिलायी है , जिसे बढ़ाकर मैं 4 **हजार** रूपये किया जाना उचित समझता हूं क्योंकि तत्समय की स्थिति में अपीलार्थी को कई बार उपचार हेतु अस्पताल एवं कृत्रिम पैर लगवाने के लिए सम्बन्धित केन्द्र पर जाने की आवश्यकता पड़ी होगी। अपीलार्थी के अनुसार प्रत्येक बार 400-500/ - रूपये जीप किराये पर खर्च हो जाता था। अत: इस हेतु यथोचित मानते हुए 4 हजार रूपये की राशि दिलायी जाती है।

20. न्यायाधिकरण ने कपड़े की हानि के लिए अपीलार्थी को 100/ - की राशि दिलायी है जबकि अपीलार्थी द्वारा इस निमित्त केवल 500/ - रूपये की राशि की मांग की गयी थी, जो अस्वीकृत किये जाने का न्यायसंगत कारण प्रकट नहीं होता, अत: यह राशि 500/ - रूपये भी अपीलार्थी को दिलाया जाना न्यायोचित है।

21. कृत्रिम पैर लगवाने के लिए न्यायाधिकरण ने 40 हजार रूपये की राशि दिलायी है , जो पत्रावली पर प्रस्तुत हुई साक्ष्य एवं उस समय की

स्थिति के प्रकाश में उचित जान पड़ती है और फलस्वरूप यथावत रखे जाने योग्य है।

22. अपीलार्थी के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श-6 का अवलोकन यह दर्शाता है कि उसके दायें पैर पर गंभीर चोट के अतिरिक्त दो अन्य चोटें भी आयी हैं, जिनके निमित्त भी अपीलार्थी को 2 हजार रूपये की राशि दिलाया जाना उचित है।

23. न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी को उसका दायां पैर घुटने से कट जाने की चोट तथा अन्य चोटों के कारण उत्पन्न दर्द एवं पीड़ा के लिए केवल 5 हजार रूपये की राशि दिलायी है। मैं अनुभव करता हूं कि यह राशि केवल न्यून ही नहीं अपितु अत्यधिक न्यून है। न्यायाधिकरण ने प्रार्थी को जो आर्थिक क्षति हुई, उसकी तो कुछ सीमा तक भरपाई कर दी किन्तु आर्थिक के अतिरिक्त अनार्थिक (Non-pecuniary) क्षतिपूर्ति के रूप में जो यह 5 हजार रूपये की राशि दिलायी है, वह अत्यधिक कम प्रतीत होती है।

आर डी हट्टनगाडी बनाम पेस्ट कण्ट्रोल(इण्डिया) प्रा.लि. एवं अन्य 1995 ए सी जे- 366 (SC) में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्न प्रकार प्रतिपादित किया है:

> "Broadly speaking, while fixing an amount of compensation payable to a victim of an accident, the damages have to be assessed separately as pecuniary damages and special damages. Pecuniary damages are those which the victim has actually incurred and which are capable of being calculated in terms of money; whereas non-pecuniary damages are those which are incapable of being assessedby arithmetical calculations. In order to appreciate two concepts, pecuniary damages may include expenses incurred by the claimant; (i) medical attendance; (ii) loss of earning of profit up to the date of trial; (iii) other material loss. So far as non-pecuniary damages are concerned, they may include (i) damages for mental and physical shock, pain and suffering already suffered or likely to be suffered in future; (ii) damages to compensate for the loss of amenities of life which may include a variety of matters, i.e., on account of injury the claimant may not be able to walk, run or sit; (iii) damages

> for the loss of expectation of life, i.e., on account of injury the normal longevity of the person concerned is shortened; (iv) inconvenience, hardship, discomfort, disappointment, frustration and mental stress in life."

24. मैं अनुभव करता हूं कि उक्त विधि दृष्टान्त तथा इस बिन्दु पर उपलब्ध अन्य विधि के प्रकाश में अपीलार्थी को पूर्व में हुई, वर्तमान में हो रही एवं भविष्य में होने वाली मानसिक वेदना , शारीरिक असुविधा एवं कष्ट , पूर्ववत चलने फिरने , भागने-दौड़ने , वजन उठाने, बैठने आदि में होने वाली कठिनाई, जीवन की आशाओं में हुई कमी , मानसिक संताप , अवसाद तथा निराशा में वृद्धि आदि के निमित्त अआर्थिक क्षति के रूप में समुचित राशि दिलायी जानी चाहिए थी।

25. जो दो विधि दृष्टान्त विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से हमारे समक्ष पेश किये गये हैं, उनमें **जितेन्द्रसिंह बनाम इस्लाम एवं अन्य** 1998 **ए सी जे (राज.)** 1301 में अपीलार्थी को एक पैर कटने तथा 55 प्रतिशत अशक्तता के कारण 03 लाख रूपये की राशि इस निमित्त दिलायी गयी है। विनिर्णय **भगवानसिंह मीणा बनाम जय किशन तिवारी एवं अन्य** 1999 **ए सी जे (राज.)**1200 में भी पैर कटने के कारण इस निमित्त 03 लाख रूपये की राशि दिलायी गयी है।

26. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय **आर डी हट्टनगाडी बनाम पेस्ट कण्ट्रेोल(इण्डिया) प्रा.लि. एव अन्य** 1995 **ए सी जे** -366 में अपीलार्थी को कई गंभीर चोटें आयी थी, जिनके कारण उसे 100 प्रतिशत अशक्तता कारित हुई तथा कमर के नीचे से पेराप्लेजिया(Paraplegia) हो गया था। इस हेतु अपीलार्थी को उपचार के लिए कर्नाटक में कस्तूरबा अस्पताल से मुम्बई सायन अस्पताल ले जाया गया जहां वह लगभग ढ़ाई महिने से अधिक समय तक भरती रहा । इस दुर्घटना में चोटग्रस्त अपीलार्थी का व्यवसाय वकालत था, वह पूर्व में सिटी कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका था तथा माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय में भी पैरवी किया करता था। दुर्घटना के कारण उत्पन्न हुई उक्त

गम्भीर अशक्तता के कारण वह अपनी प्रेक्टिस को पुन: प्रारम्भ नहीं कर सका था। ऐसे विशेष तथ्यों के कारण इस निमित्त उसे कष्ट एवं असुविधा के एवज में 1,50,000/- रूपये तथा जीवन की सुविधाओं में कमी के निमित्त 1,50,000/- रूपये कुल 3,00,000/-रूपये की राशि दिलायी गयी।

27. सम्माननीय शीर्ष न्यायालय के ही विनिर्णय **नागप्पा बनाम गुरूदयाल सिंह एवं अन्य** 2003 ए सी जे 12(SC) में भी आहत व्यक्ति का दुर्घटना में आयी चोटों के कारण पैर कट गया था। चित्रादुर्गा दावा न्यायाधिकरण द्वारा उसे सभी मदों में मिलाकर 30 हजार रूपये की राशि क्षतिपूर्ति स्वरूप दिलायी गयी थी। इसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस राशि को बढ़ाकर 82 हजार रूपये कर दिया। इसके अतिरिक्त कृत्रिम पैर लगवाने के लिए इसे क्रय करने हेतु 18 हजार रूपये की अतिरिक्त राशि भी दिलायी। इस चोट के कारण आहत को 80-85 प्रतिशत अशक्तता कारित हुई थी। यह भी स्थिति समक्ष आयी थी कि कटे हुए दायें पैर के स्थान पर प्रत्येक 2-3 वर्ष में कृत्रिम पैर बदलवाना पड़ेगा। इस कृत्रिम पैर बदलवाने की स्थिति को विचार में रखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त दिलायी गयी राशि में 01 लाख रूपये की वृद्धि की गयी।

28. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त दोनों विधि दृष्टान्तों से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए हस्तगत मामले में जहां दुर्घटना में आयी चोटों के कारण अपीलार्थी का दायां पैर कटा है, जिसके स्थान पर कृत्रिम पैर लगवाना पड़ा है और 40 प्रतिशत अशक्तता कारित हुई है, के निमित्त मैं अपीलार्थी को 01 लाख रूपये की राशि दिलाया जाना यथोचित पाता हूं।

29. निर्विवाद रूप से दायां पैर कटने के कारण अपीलार्थी को चलने फिरने, उठने-बैठने , भागने-फिरने, वजन उठाने, व्यायाम करने, सोने आदि दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में अत्यधिक कठिनाई होगी। वह अपने देनिक कार्यों के लिए पूर्ववत स्वनिर्भर न होकर कुछ सीमा तक पराश्रित हो गया है। कष्ट और असुविधा के अतिरिक्त जीवन की सुविधाओं एवं प्रकृति प्रदत्त तथा विकसित क्षमताओं में इसके फलस्वरूप कमी आ जाती है। एक

टांग नहीं होने से हीनता की भावना, आत्मविश्वास में कमी, निराशा तथा जीवन में तनाव उत्पन्न होना सम्भावित है। वैवाहिक जीवन के आनन्द में भी कमी हो जाती है । पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन में व्यक्ति दया व सहानुभूति का पात्र बन जाता है। ऐसी गम्भीर चोट के मामले में व्यक्ति जीवन भर शारीरिक अक्षमता के कारण भावनात्मक एवं शारीरिक रूप से कष्ट पाता है। इन सब स्थितियों को विचार में लेते हुए मैं अपीलार्थी को उक्त निमित्त अनार्थिक क्षति (Non -pecuniary damages) के रूप में 01 लाख रूपये दिलाया जाना न्यायसम्मत समझता हूं। अत: न्यायाधिकरण द्वारा दर्द व पीड़ा के लिए दिलाई गई 05 हजार रूपये की राशि के स्थान पर उक्त समस्त बिन्दुओं को विचार में रख अनार्थिक क्षति के रूप में अपीलार्थी को 01 लाख रूपये की राशि दिलायी जाती है।

30. इस प्रकार ऊपर किये गये समस्त विवेचन के प्रकाश में अपीलार्थी को न्यायाधिकरण द्वारा दिलायी गयी राशि 55,500/- रूपये में वृद्धि करते हुए 1,71,500/- रूपये की राशि प्रतिकर स्वरूप दिलाये जाने योग्य है। यह स्थिति भी हमारे समक्ष है कि वृद्धि की गयी राशि पर अपीलार्थी क्लेम आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली तक का ब्याज भी पाने का अधिकारी होगा, जो अपने आप में पर्याप्त राशि हो जाती है।

31. इस प्रकार ऊपर किये गये समग्र विवेचन के प्रकाश में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा मोटर वाहन दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण (ए डी जे) बयाना, भरतपुर के आक्षेपित निर्णय दिनांक 10.09.1999 के द्वारा अपीलार्थी को दिलायी गयी क्षतिपूर्ति की राशि 55,500/- रूपये को बढ़ाकर कुल 1,71,500/- रूपये किया जाता है। अवार्ड की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी। इस वृद्धि की गयी 1,16,000/- रूपये की राशि पर अपीलार्थी क्लेम आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से राशि अदायगी तक 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

32. उक्तानुसार वृद्धि की गयी राशि मय आदेशित ब्याज के प्रत्यर्थी बीमा

कम्पनी एकाउन्ट पेयी बैंक ड्राफ्ट/ पे आर्डर के जरिये दो माह की अवधि में न्यायाधिकरण में जमा करायेगी। न्यायाधिकरण ऐसा सुनिश्चित कर अपीलार्थी को व्यक्तिश: सुनकर उसकी आज की स्थिति /परिस्थिति एवं समग्र तथ्यों को विचार में लेते हुए इस राशि का सम्यक एवं न्यायोचित वितरण अपीलार्थी को करेगा। यह वितरण आदेश करते समय न्यायाधिकरण इस तथ्य को ध्यान में रखेगा कि इसमें से पर्याप्त राशि कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए पोस्ट ऑफिस की मासिक आय योजना या राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा खाते में जमा हो, जिसका मासिक ब्याज नियमित रूप से अपीलार्थी को प्राप्त होता रहे। शेष राशि अपीलार्थी की स्थिति के अनुसार यथोचित आदेश पारित कर उसे नगद दिलायी जाए। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त प्रकार मासिक आय योजना एवं सावधि जमा खाते में जमा राशि का अपीलार्थी की प्रार्थना पर पूर्व भुगतान विशिष्ट परिस्थितियों में न्यायाधिकरण के द्वारा पूर्ण सन्तुष्टि के उपरान्त कारण सहित युक्तियुक्त आदेश पारित करते हुए ही किया जावे।

33. न्यायाधिकरण से प्राप्त अभिलेख इस आदेश की प्रति के साथ अविलम्ब वापिस प्रेषित किया जावे जो इस निर्णय की शीघ्र पालना सुनिश्चित करेगा।

34. पक्षकारान् इस अपील का खर्चा अपना-अपना स्वयं वहन करेंगे।

(न्या० एस एस कोठारी)

"all corrections made in the judgment/order have been incorporated in the judgment/order being e-mailed."

अनिलशर्मा/ps-